## <u>न्यायालय: — सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालाघाट (म.प्र.)</u> श्रृं<u>खाला न्यायालय बैहर</u>

(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

#### मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक-92 / 2017

संस्थित दिनांक -07.01.2016

Filling No.MACC/231/2017

CNR No.MP 5005001890/2017

- 1— श्रीमती गायत्रीबाई पति स्व. विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह उम्र 38 वर्ष
- 2— शिवम पिता स्व. विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह उम्र 9 वर्ष
- 3— सुद्दूसिंह टेकाम पिता स्व. बिरसिंह टेकाम उम्र 65 वर्ष जाति गोंड
- 4— श्रीमती गंगाबाई पति सुद्दूसिंह टेकाम उम्र 60 वर्ष आवेदक क्रमांक 2 नाबालिग वली मॉ श्रीमती गायत्रीबाई पति स्व. विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह टेकाम जाति गोंड निवासी—भीमजोरी तहसील बैहर जिला बालाघाट आवेदकगण।

# <u>-//विक्तद्</u>द्व //-

- 1— रूपदास उर्फ गुड्डा पिता बैगादास ग्वाल उम्र 39 वर्ष निवासी—ग्राम भीमजोरी तहसील बैहर जिला बालाघाट (वाहन चालक)
- 2— सत्यदेव चौधरी पिता रामायण चौधरी निवासी—वार्ड नंबर 35 लेबर कालोनी दुर्गा मंदिर के पास खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला भिलाई छ0ग0
- 3— यशपाल चौहान पिता स्व. दिलीयाराम निवासी—मलाजखण्ड टाउनशिप बी—2—31 तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 4— प्रबंधक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटड कार्यालय ई—8 ईपीआईपी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा जयपुर राजस्थान—302022 इंडिया — — — — — — अनावेदकगण।

\_\_\_\_\_\_\_

श्री योगेन्द्र दवने अधिवक्ता वास्ते आवेदकदकराण। श्री महेन्द्र देशमुख अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 1, 2 श्री टी०एल० सिंह अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 3

A Market Company of the Company of t

# — / / अधिनिर्णय / / / — (आज दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को पारित)

- 1. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा आवेदन पत्र धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अधीन अनावेदक क्रमांक 1 रूपदास वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी. 07 एल. के. 3182 को लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलांकर वाहन को 11000 वोल्ट के विद्युत तार के नीचे पार कर किया जिससे मृतक तार से टकरा गया, के परिणामस्वरूप विश्व विजय बहादुर की मृत्यु हो जाने से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु यह दावा पेश किया है।
- 2. आवेदकगण के आवेदन का सार यह है कि मृतक विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह ग्राम भीमजोरी का ट्रक क्रमांक सी0जी0 07 एल0के0 3182 पर धान की बोरों की देखरेख के लिए बैठा था तभी ट्रक के चालक द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक एवं तेज गति से चलाते हुए बगैर सावधानी के 11000 वोल्ट के विद्युत तार के नीचे उक्त वाहन को पार किया जिससे मृतक के पांव की अंगूली जल गई, बाएं हाथ की कलाई व अंगूठा में तार के जलने के निशान है, शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोट कारित हुई तथा करेंट के प्रभाव से ट्रक से नीचे गिर गया जिससे घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई।
- 3. मृतक विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह टेकाम ट्रक का व्यवसाय में हेल्परी का कार्य कर प्रतिमाह 7,000/-रू. आय अर्जित करता था जिससे आवेदकगण का भरणपोषण, शिक्षा—दीक्षा होती थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट होने पर थाना परसवाड़ा में अपराध कमांक 148/2015 धारा 304 ए भा.द.वि. के अधीन दर्ज कर मामला न्यायालय में शासन विरूद्ध रूपदास के नाम से दर्ज है।

मृतक विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह 38 वर्षीय व्यक्ति था। भविष्य की आय में होने वाली क्षति 13,44,000/—रूपए, अंतिम संस्कार में हुआ व्यय, आवेदकगण को हुई मानसिक क्षति के मद में 100000/—, आवेदकगण को हुई संपदा की क्षति के मद में 100000/—कुल 18,74,000/—रू. की क्षतिपूर्ति हेतु यह दावा निर्धारित न्यायशुल्क चस्पा कर पेश किया गया है।

- अनावेदक क्रमांक 1 व 3 ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के संपर्ण अभिकथनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है। मृतक की हेल्परी से 7000 / - रू. मासिक आय होना इंकार किया है, मृतक की उम्र 38 वर्ष होना इंकार किया है, मृतक की दुर्घटना वाहन क्रमांक सी.जी. 07-एल0के० 3182 से होना इंकार किया है, मृतक ट्रक उपर धान के बोरों की देखरेख के लिए बैठा था इंकार किया है, वाहन चालक के खिलाफ धारा 304 ए का मामला परसवाड़ा पुलिस द्वारा बनाया जाना इंकार किया है, मृतक की मृत्यु विद्युत तार से टकराने से होना इंकार किया है। विशिष्ट कथन कर अनावेदक क्रमांक 1 रूपदास उर्फ गुड्डा पिता बैगादास ग्वाल वैध अनुज्ञप्तिधारी होना स्वीकार किया है जिसे म०प्र० परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2015 को अनुज्ञप्ति जारी हो ना और दिनांक 16.11.2018 तक वैध होना तथा वाहन अनुज्ञप्ति क्रमांक एम.पी. 50 आर. 2015-0077173 होना स्वीकार किया है। वाहन क्रमांक ट्रक सी.जी. 07 एल.के. 3182 अनावेदक क्रमांक 2 सत्यदेव चौधरी पिता रामनारायण चौधरी के नाम परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड होना तथा अनावेदक क्रमांक 4 बीमा कंपनी के पास दुर्घटना दिनांक को बीमित होना स्वीकार किया है जिसकी पॉलिसी क्रमांक 10003 / 31 / 15 / 552037 वैधता अवधि 22.02.2015 से 21.02.2016 तक वैध है। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 4 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से क्षतिपूर्ति राशि हेतु अनावेदक कमांक 4 से दिलाए जाने की याचना की है।
- 5. अनावेदक क्रमांक 4 बीमा कंपनी ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र में लेख अभिकथनों का उत्तर कंडिकावार देते हुए इंकार करते हुए मृतक हेल्परी का कार्य कर 7000 / रू. आय अर्जित करता था इंकार किया है, दिनांक 21. 12.2015 को करीब 2:00 बजे वाहन क्रमांक ट्रक क्रमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 से दुर्घटना होना इंकार किया है, विद्युत करंट लगने से विश्व विजय की मृत्यु होना इंकार किया है। उक्त वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

कार्यालय ई-8 ईपीआईपी रीको इंडस्ट्रीयल एरिया सीतापुरा जयपुर राजस्थान 302022 इंडिया पॉलिसी क्रमांक 10003/31/15/552037 अवधि 22.02.15 से 21.02.15 तक होना इंकार किया है, म०प्र० विद्युत बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया है, पक्षकार के अभाव का दोष होने से निरस्त किए जाने हेतु लेख किया है। अना.क. 4 के विरुद्ध आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण हेतु अधोलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गयेः

क.	<u>वादप्रश्न</u>	<u>নিष्कर्ष</u>
1.	क्या दिनांक 21.12.2015 के दिन के करीब 02:00 बजे पुलिस थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट क्षेत्रान्तर्गत बीजाटोला से डोंगरिया रोड पर धरमकांटा के आगे अना.क. 1 ने अना.क. 2 के स्वामित्व के वाहन ट्रक कमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 का उतावलेपन से चालन कर ग्यारह हजार वोल्ट के विद्युत तार के नीचे से अत्यधिक पास से वाहन को पार किया ?	प्रमाणित
2.	क्या उक्त उपेक्षापूर्ण वाहन चालन के परिणामस्वरूप ट्रक क्रमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 में सवार आवेदक क्रमांक 1 के पति, आवेदक क्रमांक 2 के पिता तथा आवेदक क. 3 व 4 के पुत्र विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह की मृत्यु कारित हुई ?	प्रमाणित अस्तिक्षे
3. 🔦	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के वक्त अना.क. 1 अथवा अना.क. 2 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तो का भंग किया गया ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के वक्त मृतक विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह अना.क. 2 के ट्रक में हेल्पर का कार्य करते हुए 7000/—फ. मासिक आय प्राप्त करता था ?	

5.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा	कंडिका 20 के
	पृथकतः दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि 18,74,000 / –रूपए	अनुसार
	प्राप्त करने के अधिकारी है ?	
	, Section	
6.	अनुतोष एवं वाद व्यय ? 🐋	कंडिका 21 अ,ब,स,द
	May.	

#### <u>वादप्रश्न क्र.—1, 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष</u>:-

- 6. श्रीमित गायत्रीबाई (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि उसके पित विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह दिनांक 21.12. 15 को दिन में 2 बजे टाटा ट्रक वाहन क्रमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 में धान के बारों की देखरेख के लिए बैठा था। ट्रक चालक वाहन को लापरवाहीपूर्वक तेज गित से चलाया, बिना सावधानी के चलाने से 11000 वोल्ट के विद्युत तार के नीचे से वाहन को पार करने से विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह के पांव की उंगली, बाएं हाथ की कलाई, अंगूठे में तार छू जाने से वे जले हुए थे, शरीर में गंभीर चोट थी, करंट के कारण टक के उपर से उसका पित गिर गया था और घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। थाना परसवाड़ा ने मृतक के शव को पी.एम. हेतु भेजा था। पी.एम. करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था, पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 304 ए भा.द.वि. के अधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर पेश किया जिसका अपराध क्रमांक 148 / 2015 है।
- 7. मुख्य कथन के पद क्रमांक 6 में प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 8 के दस्तावेज प्रदर्श अंकित कराए है जिनका अवलोकन किया गया। प्र.ए. 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्र.ए. 2 मर्ग इंटीमेशन, प्र.ए. 3 नक्शा पंचनामा, प्र.ए. अपराध विवरण, प्र.ए. 5, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 6, सम्पत्ति जप्ती पत्र प्र.ए. 7 व प्र.ए. 8 है। प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि उसकी उपस्थिति में घटना नहीं हुई। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी। पति की उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सद्दू सिंह और गंगा बाई पृथक रहते है इंकार किया है। संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 8 के दस्तावेजों पर कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य अखंडनीय है।

- संजय मरकाम (आ.सा.2) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के
- तहत पेश मुख्य कथन के पद कमांक 2 में श्रीमित गायत्रीबाई (आ.सा.1) के समान साक्ष्य देकर पुष्टि की है, इसलिए विवरण की पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि टक कौन चला रहा था, नाम नहीं बता सकता लेकिन उसे गुड्डू कहते है। यह स्वीकार किया है कि
- वह घटनास्थल पर नहीं था, वहाँ से चला गया था। स्वतः कहा कि घटना होने
- के बाद चालक चला गया था। यह इंकार किया है कि दुर्घटना चालक की गलती से नहीं हुई। यह इंकार किया है कि वह दुर्घटना के समय घटनास्थल
- पर मौजूद नहीं था।
- 9. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्को को विचार में लिया गया। उभयपक्ष द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। प्र.ए. 2, प्र.ए. 3, प्र.ए. 4, प्र.ए. 5, प्र.ए. 6, प्र.ए. 7, प्र.ए. 8 का कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है। अखंडनीय साक्ष्य के आधार पर वादप्रश्न कमांक 1 एवं 2 प्रमाणित पाया जाता है।

### वादप्रश्न क्र.—3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:—

10. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 4 पर है। अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से साक्षी पवन प्रजापित ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ है। दुर्घटना दिनांक 21.12. 2015 को पॉलिसी क्रमांक 10003/31/15/552037 द्वारा दिनांक 22.02.2015 से 21.02.2016 तक की अविध तक के लिये शर्तों के अधीन बाहन क्रमांक सी. जी. 07 एल.के. 3182 बीमित किया गया था। पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि उक्त वाहन में डाले में लदे धान के बोरे के उपर अवैधानिक तरीके से बैठकर मृतक यात्रा कर रहा था, विद्युत करंद लगने से उसकी मृत्यु हुई है। दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाहीपूर्वक धान के बोरों पर बैठने के कारण तथा यातायात नियमों और मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के कारण हुई है इसलिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। यात्रा करने के लिये किसी व्यक्ति का प्रीमियम नहीं दिया गया था।

- 11. अनावेदक कमांक 4 के साक्षी कमांक 1 पवन प्रजापित द्वारा शेष मुख्य कथन के पद कमांक 4 में उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्र.एन.ए 1 होना कथन किया है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 5 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन कमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 बीमित था। बीमा पॉलिसी कॉम्प्रेसिव पॉलिसी थी उस पॉलिसी में स्वामी सह—चालक, दो कुली, एक चालक का प्रीमियम दिया गया है। उक्त वाहन व्यवसायिक माल वाहक यान है। सवतः कहा कि कुलियों का प्रीमियम बीमित वाहन में माल चढ़ाने, उतारते समय हुई दुर्घटना के लिए रिश्कवर करता है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने दुर्घटना नहीं देखी।
- 12. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 6 में साक्ष्य दी है कि वह यह नहीं बता सकता कि कुली की परिभाषा क्या है। पद कमांक 7 में स्वीकार किया है कि कंपनी के अधिकृत अन्वेषक के माध्यम से घटना के संबंध में अन्वेषण कराया जाता है। इस मामले में भी जॉच कराई गई थी उस अन्वेषण की रिपोर्ट पेश नहीं की है।
- 13. रूपदास (अनावेदक कमांक 1) ने स्वयं का परीक्षण अनावेदक साक्षी के रूप में कराने हेतु आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश किया है जिसने पद कमांक 2 में साक्ष्य दी है कि 21.12.2015 को टाटा ट्रक वाहन कमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 को सावधानीपूर्वक लेजा रहा था उस ट्रक में धान के बोरे रखे हुए थे, धान की बोरों की देखरेख के लिए विश्व विजय उर्फ बहादुर सिंह ग्राम भिमजोरी का उपर बैठा हुआ था। सड़क के उपर बिजली तार की चपेट में आने से करंट लगने से टक के उपर से नीचे गिर गया और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। साक्षी सावधानीपूर्वक टक चला रहा था। पद कमांक 1 में कथन किया है कि वह पेशे से चालक है उसके पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति है। म0प्र0 परिवहन बिभाग द्वारा दिनांक 17.11.15 को अनुज्ञप्ति कमांक एम.पी. 50 आर—2015—0077173 जारी की गई थी जो दिनांक 16.11.2018 तक वैध है।
- 14. साक्षी ने शेष मुख्य कथन के पद कमांक 6 में वाहन चालन अनुज्ञप्ति प्र.एन.ए. 1—सी, वाहन की बीमा पॉलिसी की छायाप्रति प्र.एन.ए. 2—सी, फिटनेस सर्टिफिकेट की छायाप्रति प्र.एन.ए. 3—सी, वाहन का परिमट प्र.एन.ए.

#### वादप्रश्न क्र.—4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षः—

- 15. श्रीमित गायत्रीबाई (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 3 में साक्ष्य दी है कि उसके पित को वाहन कमांक सी.जी. 07 एल.के. 3182 पर हेल्परी कार्य के लिए अनावेदक कमांक 3 के द्वारा 200 / —प्रतिदिन की मजदूरी 6000 / —रूपए मासिक देता था, 1000 / —रूपए भत्ता देता था। इस प्रकार 7000 / —रू. मृतक मासिक आय अर्जित करता था। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 7 लगायत 11 में उक्त साक्ष्य का खण्डन नहीं है। समान आशय की साक्ष्य संजय मरकाम (आ.सा.2) ने भी देकर पुष्टि की है। इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण में अनावेदक कमांक 4 की ओर से सुझाव दिया है कि वाहन मालिक 100 / —रू. रोज मजदूरी देता था, को साक्षी ने इंकार किया है।
- 16. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्को और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मृतक की मजदूरी से आय 6000/—रूपए मासिक मान्य की जाती है। मजदूर के बाहन पर बाहर पर ही उसे भत्ता देय होता है इसलिए भत्ते को आय में शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादप्रश्न कमांक 4 निराकृत करते हुए मृतक विश्व विजय उर्फ बहादुर की आय 6000/—रूपए मासिक आंकी जाती है। उक्तानुसार वादप्रश्न कमांक 4 निराकृत किया जाता है।

#### वादप्रश्न क्र.-5 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ण:-

17. इस वादप्रश्न के निराकरण हेतु श्रीमती गायत्री श्रीमति गायत्रीबाई (आ.सा.1), संजय मरकाम (आ.सा.2) के साक्ष्य की पुनरावृत्ति किए जाने की

आवश्यकता नहीं है। सद्दूसिंह टेकाम (आ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि मृतक विश्व विजय उसका पुत्र है। दिनांक 21.12.15 को उसकी मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। साक्षी, बहू, नाती ने मिलकर दावा पेश किया है। पूरा परिवार उसी पर आश्रित था। साक्षी के पुत्र की जन्म तारीख 02.01.1974 है जिसका जन्म प्रमाण पत्र प्र.ए. 9 है। प्रतिपरीक्षण में स्वतः कहा है कि प्रमाण पत्र सही है। पद कमांक 3 में इंकार किया है कि उसका पुत्र 45 साल का था। स्वतः कहा कि पुत्र की उम्र 40–41 साल की थी, साक्षी की उम्र 70 वर्ष की है।

- 18. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्को को विचार में लेने के पश्चात् मृतक पर 4 आवेदकगण की आश्रितता होने से मृतक की आय में से 1/5 अंश वह स्वयं पर व्यय करता था, के प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर मृतक की 6000/— रूपए मासिक आय में से 1200/—रूपए प्रतिमाह कम किए जाने पर 4800/—रूपए आवेदकगण की आश्रितता पायी जाती है।
- 19. प्र.ए. 9 के दस्तावेज के अनुसार मृतक की जन्म तारीख 02.01. 19974 है। घटना दिनांक 21.12.2015 को मृतक की आयु 42 वर्ष होती है। मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट में मृतक की उम्र 40 वर्ष लेख है। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक की उम्र 40 वर्ष लेख है, किंतु प्र..ए. 9 के दस्तावेज के आधार पर मृतक की आयु 42 वर्ष प्रमाणित होती है।
- 20- न्यायदृष्टांतः— 2009 सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (सर्वो च्च न्यायालय) 3113 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक की आयु 42 होने पर 14 का गुणांक लगाने पर 4800 X 12 X 14 = 806400/- रूपये निर्धारित की जाती है। आवेदिका क्रमांक 1 को दांपत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/—रूपए, अंतिम संस्कार के मद में 25,000/—रूपए, आवेदक क्रमांक 2 को पितृ सुख से वंचित होने के मद में 10,000/—रूपए, आवेदक क्रमांक 3 व 4 पिता व माता को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 5000/—रूपए 5000/—रूपए इस प्रकार कुल (806400+100000+25000+10000+5000+5000) = 951400/-रूपए आवेदकगण को क्षति होना निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 5 निराकृत किया जाता है।

#### वादप्रश्न कमांक 6 सहायता एवं व्ययः-

- 21- उक्त दुर्घटना दावा प्रकरण में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 6 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है:-
  - [अ] आवेदकगण को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 951400/- रूपए में से आवेदक क्रमांक 1 मृतक की पत्नि गायत्रीबाई को (201600+100000+25000) =326600/- {तीन लाख छब्बीस हजार छः सौ} अनावेदक क्रमांक 4 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने के अधिकारी है।

आवेदिका क्रमांक 1 गायत्रीबाई को प्राप्त होने वाली राशि 326600/-Rs. {तीन लाख छब्बीस हजार छः सौ} में से 300000/- रूपए 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे शेष राशि 26600/- रूपए उसके बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

- [ब] <u>आवेदक कमांक 2 शिवम</u> को प्राप्त होने वाली राशि (201600+10000)=211600/- रूपए अनावेदक कमांक 4 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक कमांक 2 अवयस्क को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि 2,11,600/- रूपए (दो लाख ग्यारह हजार छः सौ रूपए) मय ब्याज के उसके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे।
  - {स} <u>आवेदक क्रमांक 3 पिता</u> को प्राप्त होने वाली राशि (201600+5000)=206600/- रूपए **अनावेदक क्रमांक 4 बीमा** कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6

प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक क्रमांक 3 प्राप्त होने वाली राशि 206600/- रूपए में से 2,00,000/- रूपए (दो लाख रूपए) 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे शेष राशि 6600/—रूपए मय ब्याज के उसके बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

[द] <u>आवेदक कमांक 4 माता</u> को प्राप्त होने वाली राशि (201600+5000)=206600/- रूपए अनावेदक कमांक 4 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है। आवेदक कमांक 3 प्राप्त होने वाली राशि 206600/- रूपए में से 2,00,000/- रूपए दिं लाख रूपए} 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सावधि जमा रसीद बनाई जावे शेष राशि 6600/-रूपए मय ब्याज के उसके बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

आवेदकगण अपनी—अपनी सावधि जमा राशि का त्रै—मासिक ब्याज संबंधित बैंक से प्राप्त कर अपना जीवन निर्वाह और उन्नित हेतु व्यय करेगें। आवेदक क्रमांक 2 का ब्याज आवेदिका क्रमांक 1 के खाते में जमा किया जावे।

- (इ) तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
- **फि}** अधिवक्ता शुल्क 1100/- रूपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही / –

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0 बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया। सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

क	विवरण	आवेदक	अना. क.	अना. क.	अना.क.
	-8 B		1, 2	3	4
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	-	-	200
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	10.00	- X	30.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	- 0	SO.	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	8001	-	
	योग —	1125.00	1120.00	1110.00	1140.00

सही / –

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि०बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

True copy for Non App.No. 4